>

Title: Need to impress upon the Government of Bihar to improve the standards of teaching in the State.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): शिक्षा का अधिकार राष्ट्र के सभी 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों का कानूनी अधिकार है। अधिकार केवल नामांकन का नहीं है बल्कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पाकर योग्यता हासिल करने का भी है। यह तभी संभव है जब योग्य शिक्षक हों, कमरे में फर्नीचर, शिक्षण सामग्री,खेलकूद का मैदान, पेयजल तथा शौचालय का उचित प्रबंध हो। अर्थात् गुणात्मक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ व्यवस्था हो जिसका नतीजा परिलक्षित हो।

राष्ट्रीय पैमाने पर असर सही नहीं दिख रहा है। बिहार राज्य की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। गुणात्मक शिक्षा के लिए तय मापदंड का एक भी पैमाना लागू नहीं हो पाया है। शिक्षक लगातार समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन पर उतारू हैं। विद्यालयों में पढ़ाई बाधित है। आंदोलित शिक्षक लगातार सरकार के द्वारा आंदोलन के दौरान लाठी खाकर घायल हो रहे हैं। घायलों में पुरूष शिक्षकों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। न केवल पुरूष शिक्षक बल्कि महिला शिक्षकों की प्रताड़ना के चलते वातावरण विषाक्त होता जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा उंची शिक्षा का आधार तैयार करता है। राष्ट्रीय स्तर पर अशिक्षित आबादी का अधिकांश हिस्सा बिहार में रहता है। पढ़ाई न होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी निजी विद्यालयों में भाग गए है। केवल गरीब और असहाय बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लोभ में बचे हैं। विद्यालयों की पढ़ाई बच्चों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गारंटी है। विद्यालयों को अनाथालय में परिवर्तित होने से रोका जाना चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि " राईट टू एजूकेशन " की मूल भावना को स्थापित करने के लिए बिहार की सरकार को निर्देशित करें ताकि अशिक्षा न बढ़े एवं राष्ट्रीय धन का भारी अपव्यय भी न होने पावे जिससे लक्षित गुणात्मक शिक्षा का वातावरण तैयार किया जा सके।